समाहरणालय किशनगंज।

(जिला निर्वाचन प्रशाखा)

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण आदि हेतु इच्छुक निविदादाताओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की शर्ते।

अल्पकालीन निविदा सूचना

किशनगंज जिला के अंतर्गत सभी 04 (चार) विधान सभा क्षेत्रों यथा 52-बहादुरगंज, 53-ठाकुरगंज, 54-किशनगंज, 55-कोचाधामन के लिए ERO-Net में फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण कराये जाने, भारत निर्वाचन आयेग द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा–निर्देश के आलोक में रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र (Colour EPIC) एवं फोटायुक्त निर्वाचक सूची के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति में मुहरबन्द निविदा दिनांक – **29.06.2020** के अपराह्न 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बंध में विहित प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.kishanganj.bih.nic..in पर देखा जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस को जिला निर्वाचन कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता हैं। सभी कार्यो के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में हीं दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगा। निविदा जमा करने के तिथि से एक दिन पूर्व तक ही कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय से निविदा से संबंधित विहित प्रपत्र 1000 रूपये (एक हजार रूपये) शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा निर्धारित तिथि/समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, किशनगंज में दिया जा सकता है एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नहीं होने कि स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(क) निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना आवश्यक हैं। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I & Annexure-II) में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
2. बगैर कोई कारण बताए निविदा रद्ध करने, संशोधित करने एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. सभी कार्य ERO-Net पर Online के माध्यम से किया जाएगा।
4. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनो कार्यो के लिए एक ही एजेन्सी का चयन किया जाएगा। बिहार के अनुभवी एजेन्सी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company हैं तो उसे Company Act 1956 के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership firm के रूप में निबंधित हैं, निविदा के लिए मान्य हैं, जबकि निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।
6. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा निर्धारित शर्तो/निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
7. निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली कागजात निविदा जमा करते वक्त संलग्न रहना चाहिए। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी डाटा के सुरक्षा हेतु Cyber Security Regulation के तहत चयनियत सेवा प्रदाता को Non Discloser Agreement विहित प्रपत्र में करना होगा। साथ ही कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा।

9. किसी तरह के विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, किशनगंज में होगा।

(ख) तकनिकी निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता फर्म को बिहार Shop &Establishment Act एवं लघु उधोग के अंतर्गत कम से कम पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

2. निविदादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र अद्यतन रिटर्न के साथ विगत वर्ष (2019–20) में कम से कम पच्चीस लाख रूपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में जमा करने का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य हैं, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ती रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी ।

4. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5- निविदादाता फर्म कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) के साथ विगत तीन वित्तीय वर्षो (2016–2017, 2017–2018 एवं 2018–2019) का आयकर रिटर्न, Audit and Balance sheet के साथ प्रति वर्ष पाँच करोड़ का Turn Over+ 02 Crore का Net worth का Audited Report संलग्न करना होगा।

6- निविदादाता फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अन्तर्गत तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही इस कार्य हेतु कम से कम 20 सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम योग्यता अनुभव के साथ देना होगा। इस हेतु विगत एक वर्ष का EPFO एवं ESIC के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का Pay roll से संबंधित चालान का प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7- निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पक्ष में 2,00,000.00 (दो लाख रूपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा ।

8- निविदादाता फर्म को बिहार राज्य अंतर्गत ERONET/ERMS के माध्यम से तीन वित्तीय वर्षों (यथा – वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) में प्रतिवर्ष कम से कम 20 विधान सभा क्षेत्रों का फोटोयुक्त मतदाता सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र (EPIC) निर्माण कार्य करने का अनुभ्व होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु विधान सभा क्षेत्रों से अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9- निवविदादाता फर्म को कम से कम दो लाख PVC Colour EPIC Card बनाने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु जिला द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। Sub Contract के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

10- निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र निर्माण हेतु आधारभूत संरचना यथा– कम से कम 50 कम्प्यूटर/लैपटॉप, 2 जेनरेटर, आवश्यकतानुसार यू0पी0एस0, उच्च कोटि एवं हाई स्पीड का 15 प्रिन्टर्स, 5 लेमिनेशन मशीन, 10 PVC Colour Card Printer आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाए गए संसाधन की समीक्षा/भौतिक सत्यापन के उपरांत ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।

11. आवंटित कार्य के Sub Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा । इस आशय का Under Taking तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा । कार्य निष्पादन के क्रम में Sub Contracting पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुए जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कारवाई की जाएगी।

12. निविदादाता फर्म को पिछले पाँच लगातार वित्तीय वर्षो में से किसी एक वर्ष में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के ईकाई द्वारा निर्गत कम से कम एक करोड़ रूपये का एकल कार्यादेश की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

13. फर्म द्वारा प्रयुक्त System में अनुज्ञप्ति (License) Operating System & Antivirus Software का प्रयोग करना होगा । इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा ।

14. निविदादाता फर्म को जिला मुख्यालय किशनगंज में ही कार्य करना होगा । कार्य हेतु स्थल, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । जबकि आवश्यकतानुसार इंटरनेट, उपस्कर, विद्युत एवं कर्मी की व्यवस्था पर व्यय का वहन निविदादाता के द्वारा किया जाएगा ।

15. फोटोयुक्त मतदातासूची निर्माण के लिए फर्म को निर्वाचन विभाग पटना द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य करने संबंधी अलग से शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा ।

16. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा ।

17. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ERO-Net के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Software को छोड़कर भेण्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्यSoftware के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

18. फोटोयुक्त मतदातासूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A4 Size के 75GSM Paper का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।

19. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी0भी0सी0 प्रिंटेड रंगीन ईपिक कार्ड के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत हैं :–

    (d) Card Type : All new cards will be printed on PVC sheet with color photograph.

    (e) Card Size : 8.6 cm Vertical and 5.4 cm horizontal.

    (f) Thickness : 0.6 mm to 0.8 mm.

    (g) Lamination : 60 Microns overlay.

20. मतदाता फोटो पहचान–पत्र निर्वाचक डाटाबेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रो (JPEG Format) के माध्यम से निर्मित किए जायेंगे । निर्धारित डिजिटल फॉरमेट में रंगीन छायाचित्र भी, जिला निर्वाचन कार्यालय को एक डिलिवरेबल (one of deliverable) होगा । छायाचित्र का आकार एवं विशिष्टियां निम्नवत होगी :–

    (a) Size of Photographs : 3.2 cm vertical and 2.4 cm horizontal.

    (b) Resolution : 320 pixels x 240 pixels.

    (c) High Quality Photographs in colour and in portrait mode which shall show a close up of the Applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture.

21. फोटोयुक्त मतदातासूची एवं मतदाता फोटो पहचान--पत्र में उपर्युक्त कागज एवं PVC card का नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

22. वित्तीय या तकनिकी निविदा खुलने के उपरांत यदि अपूर्ण/वगैर हस्ताक्षर/वगैर मुहर के पाया जाता हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

23. एकरारनामा के समय पर Bank Guaranty/डिमाण्ड डाफ्ट के रूप में अग्रिम राशि (अनुबंध मूल्य का 2%) लिया जाएगा ।

24. निविदादाता फर्म का किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा Blacklisted नहीं होने का शपथ--पत्र देना अनिवार्य होगा ।

25. राजनैतिक दल से संबंधता एवं किसी भी प्रकार का अपराधिक मुकदमा विचारधीन नहीं होने संबंधी शपथ--पत्र देना अनिवार्य होगा

26. सेवा प्रदाता को सौंपे गये सभी कार्यों के संबंध में उनके द्वारा पूर्ण गोपनयता रखा जायेगा, उन्हें उपलब्ध कराये गये सभी सूचनाओं एवं उस पर आधारित ऑकड़ों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र सेवा प्रदाता को समर्पित करना होगा।

(ग) **<u>वित्तीय निविदा की शर्तें</u>**:–

1. तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जाएगा।
2. वित्तीय निविदा में फोटोयुक्त मतदातासूची/मतदाता फोटो पहचान–पत्र निर्माण आदि से संबंधित दर सभी करों सहित निर्धारित प्रपत्र में देना होगा ।
3. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भूगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी ।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन बिलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार रूपये) की कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कारवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी ।

Aditya Prakash 11/4/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,किशनगंज।